STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) It is the policy of the Government to encourage private investment in infrastructural sector. However, as urban water supply and sanitation are State subjects, it is for the State Governments and urban local bodies to determine their respective needs for involvement of the private sector.

(b) The Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) Pvt. Ltd. has been interacting in this regard.

(c) No, Sir.

कस्बा और नगरपालिका क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए कार्यक्रम

1462. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कस्बा और नगरपालिका क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई राशि आवंटित की गई है तो इसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई अन्तर्निहित तंत्र विद्यमान है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेटेश्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे एंव मध्यम दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की योजना (आई डी एस एम टी), जिसके मार्गनिर्देश 1995-96 के दौरान संशोधित किए गए हैं, का लक्ष्य विकास की संभावना वाले चुने गये कस्बों में अवस्थापना तथा बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है ताकि ये आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में कार्य कर सकें तथा बड़े शहरों/कस्बों में जनसंख्या के प्रवसन को नियंत्रित कर सकें/ कस्बों में जनसंख्या के प्रवसन को नियंत्रित कर सकें/ यह योजना 5 लाख तक की आबादी वाले नगरों/कस्बों में लागू हैं। 1995-96 के दौरान योजना के अतंर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 29.65 करोड़ रूपए की राशि, रिलीज की गई थी। इस वर्ष के लिए विभिन्न राज्यों को रिलीज करने के लिए बजट में 28.26 करोड़ रू. की राशि रखी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) आई डी एस एम टी योजना मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत, आई डी एस एम टी परियोजनाएं अनुमोदित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति समितियां गठित की जाती है। केन्द्र सरकार के स्तर पर आई डी एस एम टी परियोजनाओं का मूल्यांकन करने व उनकी निगरानी रखने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजना संगठन (टीसीपीओ) को नोहिल अभिकरण नियुक्त किया गया है।

Additional Resources for Potable Water and Sanitation Services

1463. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the constant increase in the amount of expenditure required for basic amenties especially for providing potable drinking water and sanitation services in urban areas of the country;

(b) if so, the estimated annual requirement of funds for the purpose;

(c) the amount spent annually for providing potable water and sanitation services in urban areas during the Eight five year Plan period, year-wise;

(d) whether any additional resources for this purpose are being considered in view of the increasing demand in future; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT & MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The approach paper to the IX Five Year Plan identifies 7 Basic Minimum Services viz. safe drinking water availability of the primary health service facilities, universalisation of primary education, provision of public housing assistance to all the shelterless families, nutritional support to